मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत ...उपखण्डाधिकारी...... सिकराय ...(दौसा)...

~~सरकार~~ हीरालाल बनाम ...काली देवी वगैरह...

किस्म मुकदमा ......88, 188 R.T.A....मु० नं०...25/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हिन्दू उत्तराधिकार नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि एक व्यक्ति जैविक पिता या दत्तक पिता में से किसी एक की भूमि धारित कर सकता है। वादी का भाई देव्या व प्रति. सं. 1ता3 के पति/पिता ग्राम धरणवास में दत्तक पुत्र रघुवीर की हैसियत से खातेदार व निवासरत रहा है। इस आधार पर देव्या का पैतृक भूमि पर कोई हक-अधिकार शेष नहीं रह जाता है। अत: वादी वाद की मद सं. 2व 3 वर्णित भूमि में देव्या के नाम दर्ज भूमि पर खातेदारी घोषणा का अधिकारी है यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।	
तनकी सं. 2 →	वादी प्रतिवादीगण 1ता3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है —वादी तनकी सं. 1 के आधार पर वादी खातेदारी घोषणा का अधिकारी होने के कारण देव्या के वारिस प्रति. सं. 1ता3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। अत: यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। **आदेश** ग्राम गढोरा के खाता सं. 539 335 में देव्यापुत्र बुद्धा के नाम दर्ज भूमि के विरुद्ध वादी हीरालाल को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रति. 1ता3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो खातेदार घोषित भूमि में कोई हस्तक्षेप व हस्तान्तरण (रहन/बेचान वगैरह) नहीं करें। आदेश मुताबिक डिक्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो। (रणजीत सिंह)	